तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/12/22	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील पूर्व पेशी को सुनी जा चुकी है। अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। पूर्व में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त है अप्रार्थी के जवाब का प्रार्थी वकील द्वारा खण्डन नहीं किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो का परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा स. 2072 जिसमे प्रार्थी खातेदार है प्रार्थीनी द्वारा मूल वाद 188 राज काश्त अधि 1955 के तहत पेश है परन्तु ख.स. 2072 के समस्त खातेदारान उसमें पक्षकार नहीं है। साथ ही पूर्व में J.DA द्वारा ख.स. 2078/, 2079/, गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही की है, जिसमे अप्रार्थी के जवाबानुसार प्रार्थीनी के पति के खिलाफ अतिक्रमी के तौर पर कार्यवाही की है परंतु उसका खण्डन प्रार्थीनी ने नहीं किया है अत: आवश्यक पक्षकारो के अभाव में प्रार्थीनी का प्रा.प. प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है व साथ ही प्रार्थीनी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं है जो ख.स. 2072 व उसमें दीवार की स्थिति मौके पर स्पष्ट करे। अत: सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है। अत: प्रार्थीनी अपना प्रा.पत्र के तथ्यों को सिद्ध नहीं कर पाई है। प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 RT Act खारिज किया जाता है। पत्रावली जेर शुमार हो कर नम्बर से कम होकर शामिल मूल पत्रावली हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	